न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 10/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 जोर सिंह पुत्र दला जी 2 पुख सिंह पुत्र दलाजी जाति रजपुत निवासी गुड़लाई तहसील पाली जिला पाली		1 चुन्नीलाल पुत्र नारायण 2 मेहनलाल पुत्र नारायण 3 रूपाराम पुत्र नारायण 4 नरसा पुत्र नारायण 5 पुनाराम पुत्र नारायण तमाम जातिगण बावरी, निवासी गुड़लाई तहसील पाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15.09.20

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 618/2016 बउनवान चुन्नीलाल बनाम जोर सिंह में पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार वकील अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा गुडलाई तहसील पाली के खसरा नम्बर 161 में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। खसरा संख्या 161 व आम रास्ते के बीच में खसरा संख्या 160 है परन्तु विधि के प्रावधानों के विरूद्ध रास्ता खसरा संख्या 163 में से दिया गया है। खसरा संख्या 160 व मौके पर आबादी बसी हुई है। रेस्पोडेण्ट भी खसरा संख्या 161 में प्लॉट काटने हेतु तैयार है व अपने द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ प्लोट काटने के लिए व अन्य रास्ते उपलब्धता हेतु अपीलाण्ट की कृषि भुमि में से रास्ता चाहता है। अपीलाण्ट की कृषि भूमि के पश्चिम की तरफ बहुत दुर रास्ता हैं। रेस्पोडेण्ट के लिये यह रास्ता भी सुलभ व नजदीक नहीं है। आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये रास्ता कानूनन नहीं उपलब्ध करवाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी सुविधाजनक रूप से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 163 रास्ता हेतु प्रदान करने का आदेश पारित किया। जबकि सन्दर्भित धारा में यह स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर ही रास्ता प्रदान किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के सुविधाजनक उपयोग के लिए अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह जाहिर किया कि खसरा संख्या 163 में पगडण्डी चलती आ रही है। यह गलत है। मौके पर किसी प्रकार का रास्ता सुचारू नहीं था, प्रार्थना पत्र में काटछांट कर 160 की जगह 163 दर्ज किया गया तथा संलग्न नक्शा भी रेस्पोडेण्ट द्वारा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 25.05.2016 को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये व पत्रावली केम्प मणिहारी में पेश करने का आदेश दिया गया परन्तु अपीलाण्ट को न तो नोटिस जारी किया गया एवं न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। इस कारण अपीलाण्ट कैम्प में उपस्थित नहीं हुए। इस पर अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेन्ट्स को रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। प्रकरण में तहसीलदार पाली से रिपोर्ट तलब ही नहीं की, फिर भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली के संलग्न की गई। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें भी मौके पर पक्षकारान् को उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की भूमि खसरा संख्या 161 में आने हेतु खसरा संख्या 160 की आबादी भूमि में मौके पर रेस्पोडेण्ट के खसरा संख्या 161 के चिपते दक्षिण की तरफ दो तीन रास्ते उपलब्ध है व रेस्पोडेन्ट इसी रास्ते में आता जाता है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जहां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो, वहां सुविधाजनक मार्ग नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बिना, अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश

1. 2010(1) RRT Page-216:- If Notice not properly served, the limitation will start from the date of knowledge.
2. 2022 RRT Page- 693:- providing opportunity of hearing to the affected parties is nessessary.
3. 1994 RRD Page-215(b) - order passed without hearing the affected party is illegal and can be set a side at any time-
4. 1994 RRD Page-217 a person must be given an opportunity of being heard before an order is passed against him proceedings u/s 136 of the LR Act without Notice to defendant- Procendings quashedandcase remand
5. 1993 RRD Page-718 Applicants version that No Notice had been served on him, believable Delay condoned.
6. 1993 RRD Page 405 (B) limitation can be computed from the date of knowledge only in those cases in which there has not been personal service.
7. 2022 RRT Page-693- No new way can be granted on inspection report of patwari.
8. 2018-2019 RRT Page 511- ILR is competent to prepare the site report
9. 2022 RRT Page 558 If alternative way is not available, then granting of way is illagal

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया, किन्तु अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प डिंगाई में नियत किया गया, जिसमें अपीलाण्ट को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया, परन्तु अपीलाण्ट बावजूद नोटिस तामिल होने के कोर्ट कैम्प में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट की भूमि खसरा संख्या 163 में से रेस्पोडेण्ट के खेत में से जाने वाली पगडंडी खसरा संख्या 163 के आगे से निकल रहे मुख्य मार्ग से जाकर मिल जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट तलब की है, उसमें यह स्पष्ट

कार्यवाही मजमें आम में हुई है, इससे अधिक पारदर्शितापूर्ण कार्यवाही हो ही नहीं सकती थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अपीलाण्ट द्वारा तकनीकी बिन्दुओं को आधार बनाते हुए यह अपील प्रस्तुत की है तथा जैर अपील आदेश को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है, जबकि सन्दर्भित धारा में तकनीकी बिन्दुओं के विस्तृत विवेचन के प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भूमि की कीमत/मुआवजा राशि तहसीलदार के समक्ष जमा करवाया है। आदेशानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही हो चुकी है, अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम गुडलाई तहसील पाली के खसरा नम्बर 161 की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 163 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत 2016 कैम्प मणिहारी में पेश होने के आदेश जारी हुए। इसके पश्चात उक्त पत्रावली दिनांक 01.06.2016 को न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प डिंगाई में नियत की गई, जिसकी भी अपीलाण्ट्स को किसी भी प्रकार से सूचना नहीं दी गई तथा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का गुडलाई द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। उक्त प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है मौका रिपोर्ट मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है, जिस पर तहसीलदार द्वारा "रिपोर्ट पटवारी उचित है", लिखकर अग्रेषित किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955) के नियम 69 में उल्लेखित प्रावधान निम्नानुसार है–

'आवदेन पत्र की प्राप्ति पर, उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल (साइट) का निरिक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरिक्षक भू–के पद (रैंक) से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवायेगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सूने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी और अग्रिम जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के बाद, यदि इससे अपना समाधान कर लेता है कि–

1. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपभोग के

2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है, वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किये जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी विनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आज्ञापक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का गुडलाई द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो न्यायालय हाजा की राय में विधिसम्मत नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251'क' में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में इन तथ्यों की किसी प्रकार से जांच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली नियत दिनांक को कैम्प मणिहारी एवं उसके पश्चात कैम्प डिंगाई में रखी गई, जिसकी अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई तथा विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट की अनुपस्थिति अंकित करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर जैर अपील आदेश पारित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को बिना सुनवाई का तथा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प, डिंगाई दिनांक 02.06.2016 में किया गया है। अपीलाण्ट को राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखे जाने का सम्मन/नोटिस तामिल सुदा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में बिना आपसी राजीनामे के निर्णय किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or

concessions. it is an agreement reached by adjustment of connfficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise " implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। उपरोक्त कारणों से हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 618/2016 बअनवान चुन्नीलाल बनाम जोर सिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली